न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
66 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	14.07.2015	25.08.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री आशीष जैन पुत्र स्व0 श्री मनोहर लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स भौलू लाल चिरंजी लाल मेन मार्केट लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी 317 मुख्य बाजार लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (i) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 25.08.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.03.2015 को समय 12.39 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स भौलू लाल चिरंजी लाल मेन मार्केट लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से आशीष जैन पुत्र स्व0 श्री मनोहर लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स भौलू लाल चिरंजी लाल मेन मार्केट लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी 317 मुख्य बाजार लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **रिफाइंड सोयाबीन तेल बनास मूल पैक** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विकता श्री आशिष जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता आशिष जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:00 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे रखी 45[illegible] ग्राम के 7 नग प्लास्टिक बोतल **रिफाइंड सोयाबीन तेल बनास मूल पैक** रखे हुए [illegible] 455 ग्राम के चार साफ बोतल को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड वास्ते नमूना जांच [illegible] जिसकी बाजार भाव [illegible] समान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

कीमत विकता. श्री आशीष जैन को रू0 156/– अक्षरे एक सौ छप्पन रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल बनास मूल पैक** 455–455 ग्राम के चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–992 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–932 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. आशीष जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2015/1307 दिनांक 17.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/181/एक्ट/2015/181 दिनांक 20.03.2015 अनुसार आशिष जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल बनास मूल पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **रिफाइंड सोयाबीन तेल बनास मूल पैक** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस [illegible] सोयाबीन तेल बनास मूल पैक का विकय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल बनास गूल पैक** का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री आशीष जैन पुत्र स्व0 श्री मनोहर लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स भौलू लाल चिरंजी लाल मेन मार्केट लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी 317 मुख्य बाजार लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 13,000 (अक्षरे तेरह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 25.08.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

25-8-21

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.08 17:47:00 IST
Reason: SelfAttested

1240

Scanned by CamScanner